Note :

In the first phase these regulations have been drafted for RVPN by a Committee consisting of Officers from all Power Sector Companies of Rajasthan. After finalization these will be modified for RVUN & other Companies also.

Any Comment/ Suggestions may be sent up to 22nd December, 2008 to Jt. Director (P&A), RVUN, Jaipur, otherwise these Draft Rules will be treated as Final Rules and accordingly finalized for all the five Power Sector Companies of Rajasthan.

# राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2002

(Updated upto 31.10.2008)

# Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited

## PREFACE

In view of a number of amendments issued since last publication of RVPN Service Rules regarding disabled persons, 2002, and also after introduction of Rajasthan Power Sector Reforms Act, 1999 (Act No. 23 of 1999) read with Rajasthan Power Sector Transfer Scheme, 2000 read with Electricity Act, 2003, it was felt that an updated edition of above Service Regulation should be made available incorporating all the amendments and Nigam's decision on the subject issued upto 31.10.2008.

Every possible care has been taken to avoid errors and omissions, however if any errors or omissions are detected in this update, which have inadvertently remained, the same may please be brought to the notice of the Assistant Secretary (GAD), RVPNL, Jaipur. For the matters involving legal and financial implications a reference to the original Circulars/Orders/ Instructions should, invariably, be made.

Suggestions, if any, for improvement to make the update more useful would be appreciated.

Jaipur.
Date:

# राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.07.2002 को सम्पन्न हुई 42 वीं बैठक में पारित किये गये संकल्प के अनुसरण में निगम के कार्यकलापो से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त निःशक्त व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं :–

## राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2002

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–**

(1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2002, हैं।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :–** जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में –

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो निगम द्वारा सुसंगत सेवा नियमों के अधिन इस रुप में नियुक्त किया गया हो,

(ख) ''नेत्रहीनता'' उस दृष्टि को निर्दिष्ट करती है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों से ग्रस्त है, अर्थात :–

(1) दृष्टि का पूर्णतः अभाव, या

(2) दृष्टि क्षमता समूचित लेंसों से बेहतर आंख से 6/60 या 20/200(स्मेलन) से अनधिक या

(3) 20 डिग्री या इससे खराब कोण के सम्मुख सीमित दृष्टि क्षेंत्र

(ग) ''मस्तिष्क संबंधी ुफालिज (लकवा)'' (सेरेब्रल पालसी) से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क अधिक्षेप या प्रसवपूर्व पेरिनाटल या शैशव काल में विकास के दौरान हुई क्षतियों के परिणामस्वरूप असामान्य मोटर कन्ट्रोल पॉस्चर द्वारा बाधित आग्रतिशील (अविकसित) स्थितियों का समूह अभिप्रेत हैं,

(घ) ''निःशक्तता'' से :–

(1) अंधता या निम्न (कम) दृष्टि

(2) श्रवण शक्ति की क्षीणता और

(3) गति विषयक निःशक्तता या मस्तिष्क संबंधी फालिज (लकवा) (सेरेब्रल पालसी) अभिप्रेत है

(ड.) ''निगम'' से राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अभिप्रेत है,

(च) ''श्रवण शक्ति की क्षीणता'' से संवाद संबंधी संचरण की आवृत्तियों में अच्छे कान से 60 डेसीबल या उससे अधिक की हानि अभिप्रेत है

(छ) ''गतिविषयक निःशक्तता'' से अगों के संचलन को पर्याप्त निर्बन्धित करने वाली अस्थियों, जोडों या मांसपेशियों की निःशक्तता का या मस्तिष्क संबंधी फालिज (सेरेब्रल पालसी) का कोई भी रूप अभिप्रेत है,

(ज) ''चिकित्सा प्राधिकरण'' से राज्य सरकार द्वारा गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड अभिप्रेत है जिनमें से कम से कम एक ऐसा विशेषज्ञ होगा जो अंधता, निम्न (कम) दृष्टि, श्रवण शक्ति की क्षीणता, गतिविषयक निःशक्तता, या यथास्थिति, मस्तिष्क संबंधी फालिज (सेरेब्रल पालसी) को आंकने हेतु विशिष्ट क्षेत्र में सहआचार्य या कनिष्ठ विशेषज्ञ की रैंक के नीचे का न हो,

(झ) ''निःशक्त व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी निःशक्तता से कम से कम चालीस प्रतिशत तक ग्रस्त हो,

(ण) ''निम्न (कम) दृष्टि वाला व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी दृष्टि क्षमता में उपचार या मानक विवर्तित (रिफ्रेक्टिव) सुधार के पश्चात भी ह्रास हो लेकिन जो योजना या किसी कार्य के निष्पादन हेतु समुचित सहायता युक्ति के साथ चश्में का प्रयोग करता है या संभाव्यतः प्रयोग करने के लिए समर्थ है,

(ट) ''राज्य'' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है,

(ठ) ''अनुसूची'' से इन नियमो से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, और

(ड) ''वर्ष'' से प्रथम अप्रेल से प्रारम्भ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. **पात्रता :–** निगम के कार्यकलापों से संबंधित विभिन्न सेवाओं या पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किन्ही सेवा नियमों या आदेशो में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, निःशक्त व्यक्ति इन नियमो के नियम 4 के अधीन अधिकारी/अभियांत्रिकी, लिपिक वर्गीय, चतुर्थ श्रेणी तथा अधिनस्थ तकनीकी सेवाओं में उनके लिए परिलक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगें बशर्ते वे सुसंगत सेवा नियमो में अधिकथित अर्हताएं पूरी करते हो तथा उक्त सेवाओं के पदो के कर्तव्यों का पालन करने के लिए क्रियात्मक रूप से योग्य हों।

4. **निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण :–** अनुसूची 1 मे प्रत्येक निःशक्तता के लिए परिलक्षित पदों पर या निगम के आदेश द्वारा किन्ही भी निःशक्तताओं के लिए परिलक्षित किसी अन्य पद पर रिक्तियों का तीन प्रतिशत निःशक्त व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों के

वर्ग के लिए आरक्षित होगा जिसका एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा :–

(1) अंधता या निम्न (कम) दृष्टि,

(2) श्रवण शक्ति की क्षीणता,

(3) गति विषयक निःशक्तता या मस्तिष्क संबंधी फाजिल (सेरेब्रल पालसी),

और ऐसा आरक्षण क्षेतिज आरक्षण माना जायेगा।

5. जहां किसी भर्ती वर्ष में नियम 4 के अधीन आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति के उपलब्ध न होने के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकती हो वहां ऐसी रिक्ति अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि अगले भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है तो पहले इसे तीन प्रवर्गो में परस्पर परिवर्तन द्वारा भरा जा सकेगा और केवल तब ही जब उस वर्ष में पद के लिए निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो नियुक्ति प्राधिकारी, निःशक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भरेगा।

परन्तु यह कि किसी विभाग में रिक्तियों की प्रकृति यदि ऐसी है कि दिए गये प्रवर्ग का व्यक्ति नियोजित नहीं किया जा सकता हो तो रिक्तियां निगम के पूर्व अनुमोदन से तीन प्रवर्गो में परस्पर परिवर्तित की जा सकेगी।

6. निःशक्त व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग के लिए उपयुक्त पायें गये किसी पद पर नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति का चयन करते समय यदि ऐसी निःशक्तता वाले व्यक्ति तथा निःशक्तता रहित व्यक्ति के बीच अन्य बातें समान हो तो ऐसे निःशक्त व्यक्ति को उनके लिए निहित आरक्षण से भी अधिक अधिमान दिया जायेगा।

7. **निःशक्तता प्रमाण–पत्रः–** (1) निःशक्तता प्रमाण पत्र चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में दिये गये प्रारूप में जारी किया जायेगा।

(2) किन्हीं सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के हाते हुए भी, ऐसे निःशक्त व्यक्ति, जो अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट किन्हीं आरक्षित या परिलक्षित पदों पर नियुक्त होते है, निगम सेवा में प्रथम प्रवेश पर संबंधित सेवा नियमों में यथा उपबधित सामान्य चिकित्सा परीक्षा के अध्यधीन नहीं होंगे।

8. **<u>आयु में शिथिलीकरणः–</u>** अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर या निगम के आदेश द्वारा किन्हीं निःशक्तताओं के लिए परिलक्षित तथा नियम 4 के अधीन आरक्षित किसी अन्य

पद पर नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को, सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहल से ही विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित रूप में शिथिलीकृत किया जा सकेगा :–

(1) सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष,

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष, और

(3) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यथियों के लिए 15 वर्ष,

परन्तु असाधारण कष्ट के मामलों में निगम आयु सीमा को आगे और शिथिल कर सकेगा।

9. <u>यात्रा व्ययः–</u> निःशक्त व्यक्ति नियोजन हेतु साक्षात्कार, परीक्षण या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आने और जाने की यात्रा हेतु द्वितीय श्रेणी के रेल भाड़े या यथा स्थिति, वास्तविक साधारण बस भाड़ें की सुविधा का उपभोग कर सकेगें।

10. <u>नियोजित व्यक्ति यदि बाद में निःशक्त हो जाये :–</u> निगम की सेवा में पहले से ही नियोजित ऐसे व्यक्ति जो निःशक्त हो जाये वे भी नियम 4 के अधीन आरक्षण हेतु इन नियमों के नियम 7 में उपबन्धित शारीरिक तथा चिकित्सीय परीक्षा से छूट प्राप्त करने के हकदार होगें निगम के अनुमोदन से किसी अन्य वैकल्पिक पद पर, जिसके लिए इन नियमों के अधीन वे पात्र हो, आमेलित या समायोजित किए जाने के भी हकदार होगें।

11. <u>चिकित्सीय परीक्षा हेतु फीस :–</u> इन नियमों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों द्वारा किसी भी चिकित्सीय परीक्षा या उन्हें प्रमाण पत्र के दिये जाने के लिए किसी चिकित्सा प्राधिकारी की कोई फीस होगी तो उसका पुर्नभरण निगम द्वारा किया जायेगा।

12. <u>शंकाओं का निराकरण :–</u> यदि इन नियमों के लागू होने, निर्वचन और इनकी व्याप्ति के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो जाये तो मामला निगम के कार्मिक विभाग को निर्देशित किया जायेगा, जिस पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का विनिश्चय अंतिम हागा।

13. <u>निरसन और व्यावृत्ति :–</u> राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का नियोजन नियम, 1980 और इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों से संबंधित आदेश, इसके द्वारा निरसिंत किए जाते है। परन्तु इस प्रकार निरंसित किए गये नियमों और आदेशों के अधीन किए गये कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों उपबंधों के अधीन किए गये या की गई समझी जावेगी।

संलग्न : अनुसूची – 1

## अनुसूची – 1

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

| क्रम सं. | पद का नाम | निःशक्तता की प्रकृति जिसके लिए पद परिलक्षित है |
|---|---|---|
| 1 | जन सम्पर्क अधिकारी | ओ एल, ओ ए, आई सी |
| 2 | कार्मिक अधिकारी | ओ एल, ओ ए, आई सी, पी डी |
| 3 | विधि अधिकारी | ओ एल, ओ ए, आई सी, पी डी |
| 4 | लेखाधिकारी | ओ एल, आई सी, एम डब्ल्यू, एफ टी, पी डी |
| 5 | सहायक विधि अधिकारी | ओ एल,ओ ए, आई सी, पी डी |
| 6 | सहायक जन सम्पर्क अधिकारी | ओ एल,ओ ए, आई सी |
| 7 | सहायक कार्मिक अधिकारी | ओ ए, ओ एल, आई सी, पी डी |
| 8 | विधि सहायक | ओ ए, ओ एल, आई सी, पी डी |
| 9 | कनिष्ठ अभियंता–प्रथम | ओ ए, बी. एल |
| 10 | कनिष्ठ अभियंता–द्वितीय | ओ ए, बी. एल |
| 11 | कनिष्ठ लिपिक | बी.एल.,ओ ए, एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी, पी डी, डी |
| 12 | कनिष्ठ लेखाकार | ओ.एल.,ओ ए, एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी, पी डी |
| 13 | लेखाकार | ओ.एल.,ओ ए, एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी, पी डी |
| 14 | सांख्यिकी | बी.एल.,ओ ए, एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी, पी डी |
| 15 | संगणक | बी.एल.,ओ ए, एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी, पी डी |
| 16 | ड्राफ्टसमैन | बी.एल.,एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी, डी |
| 17 | ट्रेसर | बी.एल.,एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी, डी |
| 18 | फैरोमैन | बी.एल.,एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी, डी |
| 19 | चपरासी | ओ.एल.ओ. ए, एम डब्ल्यू,,आई सी, पी बी, पी डी |
| 20 | स्वीपर | ओ. एल, आई सी, पी बी, पी डी |
| 21 | गार्डनर | ओ. एल, आई सी, पी बी,, डी |

टिप्पण: इस अनुसूची में दर्शायी गई अक्षमता की प्रकृति से निम्नलिखित अभिव्यक्त हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | बी. एल. | दोनो टांगें प्रभावित लेकिन बाहें नही |
| 2 | ओ. एल. | एक टांग प्रभावित |
| 3 | ओ. ए. | एक बांह प्रभावित |
| 4 | एफ. टी. | सहन करने का सीमित अभ्यास, जल्दी थकान |
| 5 | एम. डब्ल्यू. | मांसपेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक क्षमता |
| 6 | आई. सी. | चलने फिरने में सामान्य असमानता |
| 7 | पी. बी. | अंशतः नेत्रहीन |
| 8 | डी. | बधिर |
| 9 | पी. डी. | अंशतः बधिर – साथ में श्रवण यंत्र का उपयोग |